तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...
12.03.2026	वकुलाये पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश सं-1 खेतड़ी (राजस्थान)
13.03.2026	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वारीसान रेसपोंडेंटस सं. 02 ने आदेश 22 नियम 04 व धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश ना कर सीधी बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट श्री बद्रीप्रसाद सैनी ने अपने प्रार्थना पत्रो के कथनो को दौहराते हुये निवेदन किया कि उसके द्वारा आदेश 22 नियम 04 का प्रार्थना पत्र विधिवत पेश कर दिया गया है। परन्तु प्रार्थी बाहर मजदूरी करने के कारण प्रार्थी की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। इसलिये वह समय पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर पाया व तत्पश्चात मार्च 2020 में कोविड 19 होने के कारण लोकडाउन लग गया जो कि लम्बे समय तक चलता रहा। प्रार्थी कुछ दिन पूर्व गांव आया तो उसे रेसपोंडेट सं. 02 की मृत्यु की जानकारी हुई तो वकील साहब से मिलकर आदेश 22 नियम 04 सीपीसी व धारा 05 मियाद अधिनियम को प्रार्थना पत्र साथ पेश किया गया है। सेस्पोंडेंट सं. 02 राजेन्द्र शर्मा पुत्र पालाराम का 25.01.2020 को स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारीसान में उसकी पत्नी पुष्पा देवी व पुत्र अनिल पहले से ही रिकोर्ड पर है तथा शेष वारीसान किरपा, आशीष, प्रियंका व मीना है जिसका विवरण उसके द्वारा प्रार्थन की सं. 02 में किया हुआ है। अतः उक्त दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वारीसान को रिकोर्ड पर लिया जावें। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट वारीसान सं. 02 ने विरोध किया कि बीच में कोविड खुलने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता था व 90 दिवस में प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपील स्वतः अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज कर अपील को अबेट किया जावे। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किया गया । रेस्पोंडेंट सं. 02 राजेन्द्र शर्मा पुत्र मालाराम का दिनांक 25.01.2020 को स्वर्गवास हो गया था। जिसका आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र 90 दिवस के अंदर अर्थात रेस्पोंडेंट सं. 02 राजेन्द्र शर्मा पुत्र मालाराम का दिनांक 25.01.2020 से 90 दिनो के अंदर पेश करना था। जो कि 24 अप्रैल 2020 तक प्रस्तुत किया जा सकता था। परन्तु माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा कोविड की परिरिथिति को ध्यान में रखते हुये 15 मार्च 2020 से 28.02.2022 तक की समयावधी को क्षमा कर दिया है। ऐसी परिरिथितियो में उक्त प्रार्थना पत्र SUO MOTU WRIT PETITION (C) NO.3 OF 2020 में दी गई छुट के अनुसार समयावधी में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारीसान को रिकोर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने संसोधित उनवान दिनांक 17.03.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश सं-1 खेतड़ी (राजस्थान)